न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2024-12RAABarmer2024-07RTA223 Kalu VS Karnaram etc

कालु पुत्र धुडा जाति विश्नोई निवासी बोरली तहसील गुडामालानी जिला वाडमेर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. करनाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी जीवाणियो की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।
2. मानाराम पुत्र धुडाराम
3. मिरगो पत्नी धुडाराम
   जाति विश्नोई निवासी बोरली तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 दिसंबर 2023 सहायक कलक्टर गुडामालानी राजस्व मूल वाद संख्या 144/2022 करनाराम बनाम कालु इत्यादि

उपस्थित–
श्री लाखाराम साहू, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री बाबुलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 20 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुडामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 144/2022 अनवान करनाराम बनाम कालू इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 दिसंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 18 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मौजा खीचड़ों का बास तहसील नौखड़ा के खसरा नम्बर 721 रकबा 1.0926 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 813 रकबा 1.8777 हैक्टयर आयी हुई है। विवादित भुमि वादी/उतरदाता संख्या 1 का 2/3 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का बनता है, इसी माफिक वादी व प्रतिवादीगण काबिज है। वादी वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाड़ा करवाना चाहता है। अंत में वादी द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन एवं स्थाई निशेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी

सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2023 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2023 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उतरदाता/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्मन प्रतिवादी/अपीलांट पर कभी भी सम्यक रूप से तामील नहीं हुए है। वास्तव में उक्त वाद के सम्मन कभी भी प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी सम्मन प्राप्त तामिल होने बाबत् कोई आर्डरशीट में इन्द्राज नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट दिनांक 02.01.2023 में स्पष्ट रूप से अंकन किय गया है कि प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड द्वारा भेजकर रसीदे पेश करने का अवसर चाहते है, लेकिन बाद की आर्डरशीट में इस प्रकार की कोई रसीद या सम्मन के बारे में आर्डरशीट ही नहीं अंकित की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा सम्मन प्रकिया की विधिनुसार पूर्ण नहीं गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की पत्रावली की आर्डरशीट में कही पर भी अंकित नहीं किया गया है कि प्रतिवादीगण की तामिल पूर्ण या अपूर्ण या नोटिस नहीं लिया तथा न ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने की आदेशिका अंकित की गई तथा उक्त प्रकरण में मात्र दो माह में मात्र वादी की साक्ष्य लेते हुए इस प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री व अन्तिम डिक्री जारी की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के विपरित जाकर उक्त निर्णय व डिक्री जारी की गई है। विधिनुसार किसी भी प्रकरण में जारी नोटिस व्यकितगत तामिल करवायी जानी न्यायोचित है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी पर व्यक्तिगत तामिल नहीं करवायी गई। इस प्रकार से तामिल प्रकिया विधिनुसार नहीं होने से उक्त अपीलाधीन निर्णय दुषित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार को वादग्रस्त खेतो पर आकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था, परन्तु वादी द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर उनके कार्यालय में बैठकर एक पक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया, जिससे उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। यदि वास्तव में वादग्रस्त खेतो का विभाजन प्रस्ताव मौके पर आकर बनाया जाता तो अवश्य तत्समय प्रतिवादी को हस्तगत प्रकरण का ज्ञान हो जाता, परन्तु वादी द्वारा राजस्व अधिकारियों को अनुचित रूप से प्रभावित कर एक पक्षीय मौका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है ।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुडामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 144/2022 अनवान करनाराम बनाम कालू इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 दिसंबर 2025 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या एक के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के जरिये सम्मन की सम्यक तामील करवायी गई है, जिसकी द्वितीय प्रति एवं पोस्टल रसीद विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलांट के विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार कार्यवाही करते हुए वादी/रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नौखड़ा से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार नौखड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट सहित सभी पक्षकारान को सम्यक रूप से सूचित किया गया है तथा अपीलांट वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी मौके पर उपस्थित रहा है, किंतु उसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है। तहसीलदार द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारान् के आवागमन हेतु मौके रास्ते का प्रावधान रखते हुए तथा मुख्य सड़क पर सभी पक्षकारान् को समानुपात में भूमि देते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.08.2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार नौखड़ा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना मौके पर पक्षकारान् के हिस्से में सड़क पर समान अनुपात में भूमि रखते हुए तथा प्रत्येक जोत तक आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है।

अपीलांट द्वारा अपनी बहस में स्वयं पर सम्मन की सम्यक तामील नहीं करवाये जाने का उज्र उठाया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट को प्रेषित सम्मन की द्वितीय प्रति एवं पोस्टल रसीद के मुताबिक अपीलांट पर सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से सम्यक रूप से तामील करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा तामीली के संबंध में उठाया गया उज्र स्वीकार्य नहीं है। इन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री गुणावगुण पर विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुडामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 144/2022 अनवान करनाराम बनाम कालू इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 दिसंबर 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर